

60/2021

क्रमांक 301 में खता नं. 301 के ग्राम दावली श्री जमाबन्दी सम्वत्-2075-78 के दस्तावेज आचारार्थ, परिपत्र पत्र में प्राप्ति का नाम राजेश पु. रामकुमार दर्ज है। अभी इस उल्लेख अतः श्रीमान श्री के निम्नलिखित है कि राजेश पु. रामकुमार श्री जमाबन्दी सम्वत्-2075-78 के दस्तावेज में प्राप्ति का नाम राजेश पु. रामकुमार दर्ज है।

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

दिनांक 27/10/2021

क्रमांक : राजस्व/2020/

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त करने की अभिशंका की जाती है/की जाती है।

27/10/21

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुझुनू (राज.)

-: आदेश :-

दिनांक :- 27/10/2021

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	दावली	2075-2078	301	राजेश पु. रामकुमार	राजेश कुमार सि. रामकुमार

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुझुनू)  
दिनांक :- 27/10/2021

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 423-24  
लिपि :-

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया .....को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी  
उदयपुरवाटी (झुझुनू)